उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-804-2573-41-1-2024-सीएन-1775118-2023
लखनऊ:: दिनांक 17 अक्टूबर, 2024

शुद्धि-पत्र

जिला योतनान्तर्गत जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत गुरूद्वारा साहिब श्री भगत धन्ना जी ग्राम उदय करनपुर तहसील पूरनपुर के पर्यटन विकास कार्य के संबंध में पर्यटन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-774/2024/2359/41-1-2024-001-सी0एन0-1775118-2023, दिनांक 07.10.2024 की प्रतिलिपि के क्रमांक-4 पर अंकित ''मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ'' **के स्थान पर** ''मुख्य कोषाधिकारी, बरेली'' एतद्ववारा अंकित किया जाता है।

तदनुसार शासनादेश संख्या-774/2024/2359/41-1-2024-001-सी0एन0-1775118-2023, दिनांक 07.10.2024 इस सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3 महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या- 5244/7-1-1/जि0यो0/पीलीभीत/गुरूद्वारा साहिब/2023-24, दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के संदर्भ में।
4 जिलाधिकारी, पीलीभीत।
5 मुख्य कोषाधिकारी, बरेली।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
7 मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA)।
10. उप निदेशक, पर्यटन (जि0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. उप निदेशक, पर्यटन, बरेली।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।